क्रमांक–3324060/विविध/पार्ट–2/1416
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर,
भोपाल

भोपाल, दिनांक– 1 /3/2014

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक–सी–3–7/2000/3/01, भोपाल दिनांक–22.01.2007 एवं संशोधित परिपत्र क्रमांक–सी–3– 4/1/3/06, भोपाल, दिनांक–18.08.2008 एवं परिपत्र दिनांक–13 जनवरी 2011 में निहित प्रावधान तथा दिशा–निर्देश के परिपालन में विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित निम्नानुसार दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवार के सदस्य को, तृतीय श्रेणी के पदों की अर्हता रखते हुये चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की सहमति दी है। उन्हें चतुर्थ श्रेणी भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान वेतन बैण्ड+ग्रेड पे ` 4440–7440+1300 (पांचवे वेतनमान में ` 2550–3200) तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मँहगाई भत्ते पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से निम्नानुसार प्रदान की जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये कार्यालय के अधीन पदस्थ किया जाता है :–

स.क.	आई.डी. क्रमांक	दिवंगत शासकीय सेवक का नाम एवं अंतिम कार्यालय	मृत्यु दिनांक	आवेदक/आवेदिका का नाम/पता	जन्मतिथि/जाति	पदस्थापना कार्यालय
1	0915	स्व. श्री इंदिरा मालवीय सहायक वर्ग–3, बाणसागर वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग, रीवा	06.09.2009	श्री विवेक कुमार तिवारी, जी–6 चिरहुला कालोनी, रीवा जिला–रीवा	03.07.79 सामान्य	कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग, रीवा
2	0924	स्व.श्रीमती मनोरमा वर्मा सहायक वर्ग–3, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर	06.12.2009	श्री दीपक वर्मा सी–107, जहांगीर अपार्टमेंट, सिविल लाईन जबलपुर	15.11.90 अ.पि.व.	कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर
3	1048	स्व.श्री टीकमसिंह तोमर, सहायक वर्ग–2, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर	4.11.2010	श्री विजय सिंह तोमर, राज फैक्ट्री के सामने जिला–अशोकनगर	29.11.79 सामान्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अशोकनगर
4	1210	स्व.श्री रामावतार शर्मा, अमीन जल संसाधन संभाग, मुरैना	30.03.2012	श्री गिरराज शर्मा ग्राम–रिठौरा मरजादगढ़ थाना–महुआ, जिला–मुरैना	01.07.90 सामान्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मुरैना
5	1219	स्व.श्री सलीम खान, सहायक वर्ग–2, न.घा.वि. प्राधिकरण, भोपाल	7.6.2012	श्री ताहिर खान एमआईजी–11/6, गीतांजली काम्प्लेक्स, टी.टी. नगर, भोपाल	01.12.85 सामान्य	न.घा.वि. प्राधिकरण, भोपाल

6	1222	स्व.श्री कैलाश प्रसाद द्विवेदी, सहायक वर्ग–2, क्योटी नहर संभाग, रीवा	14.6.2012	श्री रीतेश द्विवेदी एलआईजी–168 पदमधर कालोनी ढेकहा, रीवा	10.03.84 सामान्य	कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर संभाग, रीवा
7	1223	स्व.श्री विश्वकांत गुप्ता, उपयंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी	30.06.2012	श्रीमती रेखारानी गुप्ता, एफ–26 मोहिनी सागर कालोनी, शिवपुरी	22.05.70 सामान्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शिवपुरी
8	1241	स्व.श्री अंबाराव राठौर, सिंचाई निरीक्षक जल संसाधन संभाग क0–1 धार	22.09.2012	श्री संजय राठौर नि. प्रेमनगर तिरला जिला–धार	03.04.78 सामान्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क0–1 धार
9	1245	स्व.श्री श्यामसुंदर भावसार, सहायक वर्ग–3, जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	21.10.2012	श्री प्रमोद भावसार, सिंचाई विभाग परिसर,नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़	23.11.82 सामान्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़
10	1247	स्व.श्री श्रवण कुमार रौतेल, भृत्य, जल ससांधन संभाग, अनुपपूर	06.11.2012	श्री संदीप कुमार रौतेल, ग्राम–गोदी, पोस्ट–चिल्हियामार तह.–पुष्पराजगढ़ जिला–अनूपपुर	18.5.92 अ.पि.व.	कार्यपालन यंत्री जल ससांधन संभाग, अनुपपूर
11	1306	स्व.श्री राजमणि पाण्डेय,सहायक वर्ग–2, जल संसाधन संभाग क0–1, सीधी	06.03.2013	श्री विक्रम पाण्डेय, ग्राम–वैसापोस्ट–रीवा तह.–हुजुर,जिला रीवा	01.03.85 सामान्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क0–1, सीधी
12	1307	स्व.श्री वंशपति पटेल, सहायक वर्ग–3, जल संसाधन संभाग क0–1 सीधी	08.03.2013	श्री इंद्रकुमार पटेल, ग्राम–अतरैला पोस्ट–हिनौती जिला–सीधी	03.03.83 अ.पि.व.	मु.अ. गंगा कछार, रीवा
13	1319	स्व.श्री सत्यनारायण तिवारी, उपयंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना	25.07.2013	श्री अभिलाष तिवारी, बुंदेलखंड पेट्रोल पंप के सामने (ईदगाह के पास) नौगांव जिला छतरपुर	25.5.83 सामान्य	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पन्ना
14	1321	स्व.श्री मुन्नालाल तिवारी, भृत्य, वि/यां. ला.म.न. एवं गेट संभाग, रीवा	13.08.2013	श्री राजीव तिवारी, ग्राम–उमरी (अवधेशपुर) पोस्ट–रीठी, तह. –गुढ़, जिला–रीवा	21.07.90 सामान्य	कार्यपालन यंत्री वि/यां. ला.म.न. एवं गेट संभाग, रीवा

1– मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार संबंधित को किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

2– अभ्यार्थी द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन अथवा भत्ते शासकीय कोष में जमा कराये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर एक माह का वेतन एवं भत्ते उनके भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी ।

3– कार्यग्रहण करने के पूर्व से अभ्यार्थी को भृत्य के पद हेतु निम्न अभिलेखों की मूल प्रति कार्यालय प्रमुख के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसकी कार्यग्रहण सूचना मान्य नहीं की जावेगी ।

शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित जारीकर्ता अधिकारी व्दारा व्यक्तिगत रूप से कराया जावे ।

(अ) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
(ब) जाति प्रमाण पत्र
(स) मध्यप्रदेश के मूलनिवासी प्रमाण पत्र

4— इस आदेश के प्राप्ति दिनांक से एक माह की समयावधि में पदस्थीकरण स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा ।

5— अभ्यार्थी को पदस्थ कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

6— कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र क0—एफ—9/3/2003/नियम/4, भोपाल दिनांक—02.07.2005 में निहित प्रावधान के अनुसार पेंशन की पात्रता अंशदान पेंशन के रूप में प्राप्त होगी ।

7— आवेदक से कार्यग्रहण के पूर्व इस आशय का वचन—पत्र लिया जाना आवश्यक होगा कि वह दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण—पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि वह प्रमाणित हो जाये कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों का अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण—पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी । (दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी को छोड़कर)

8— भविष्य में कभी भी यह पाया जाता है कि नियुक्ति प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किये गये अभिलेख असत्य हैं या अपात्र हैं तो कारण बताओ सूचना देकर प्राप्त उत्तर के आधार पर आवश्यक होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

9— शासन के नियमानुसार इन अनुकंपा नियुक्तियों में शासन के नवीन रोस्टर का पालन किया गया ।

10— मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील होंगी ।

1.3.14

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,भोपाल

पृ0क0—3324060/विविध/पार्ट—2/417 भोपाल, दिनांक— 1/3/2014

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सचिव, मान0 मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. मान0 राज्य मंत्री म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
4. मुख्य अभियंता.................................... जल संसाधन विभाग.................. की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित (अभ्यार्थी के चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न) कर निवेदन है कि इनके विस्तृत पद स्थापना आदेश 10 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से किये जायें तथा अभ्यार्थी की कार्यग्रहण तिथि से इस कार्यालय को अवगत करायें, साथ ही मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञाप क्रमांक—7/3/25/5/93 दिनांक—31.12.93 की कंडिका—1 के अनुसार जाति प्रमाण—पत्र का सत्यापन जिला संयोजक से कराये जाने की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।
5. कलेक्टर जिला...
6. निज सहायक—प्रमुख अभियंता/मुख्य कार्मिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।

7. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।

8. संबंधित श्री..आत्मज स्व.श्री...

.....................................की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

9. अधीक्षक–332/411

10. वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाईकू, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रविष्टि हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,भोपाल